सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 124 राँची, बुधवार, 13 फरवरी, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 फरवरी, 2019 ई०।

संख्या-18/आ०सु० (29) 07/2009-826--जबकि पोपुलर फ्रंट ऑफ इन्डिया (यहाँ इसके बाद P.F.I के रूप में निर्दिष्ट) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं जो राज्य/देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और जिनमें राज्य/देश की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने और धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को छिन्न-भिन्न करने की शक्ति है।

2. ऐसे संगठन के, उपरोक्त गतिविधियों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए P.F.I को गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध संगठन घोषित करने हेतु सरकार के समक्ष झारखंड पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में संकलित तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन तथा गहन समीक्षोपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि P.F.I राष्ट्रविरोधी, असंवैधानिक, गैर कानूनी, सांप्रदायिक तथा सामाजिक वैमन्यस्ता फैलाने वाली गतिविधियों में पूर्णतया संलिप्त है।

उपरोक्त प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि P.F.I झारखंड के साथ-साथ पूरे राष्ट्र में विशेषकर केरल, असम, प० बंगाल, बिहार में भी हिंसा भयादोहन, सांप्रादायिक उन्माद एवं कट्टरता के आधार पर **सामाजिक विभाजन, भारत विरोधी एवं पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने, आई०एस०आई०एस० एवं जे०एम०बी० जैसे आतंकी समूहों के साथ संबंध रखने एवं विधि-**

व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त रही है। वर्तमान में पी०एफ०आई० द्वारा अपनी गतिविधि बड़े पैमाने एवं योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है।

3. ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार आगे यह विचार रखती है कि यदि पी०एफ०आई० की विधि-विरूद्ध गतिविधियों को प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं किया गया तो वह अपनी गैर कानूनी/विधि-विरूद्ध गतिविधियों द्वारा विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास पी०एफ०आई० को प्रतिबंधित किये जाने हेतु निम्नलिखित आधार हैं:-

(क) विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करना।
(ख) सांप्रदायिक विद्वेष एवं कट्टरपंथ को बढ़ावा देना।
(ग) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना।
(घ) अन्य आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखना।

4. राज्य सरकार की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह राय है कि पी०एफ०आई० ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो लोक शांति के लिए घातक एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने में हस्तक्षेप करते हैं। पी०एफ०आई० द्वारा झारखण्ड राज्य एवं देश के अन्य भागों में दर्ज अपराधिक मुकदमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

- **दिनांक 05 जुलाई, 2017 को पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेंजला शेख, जो पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में लगभग 400 मुस्लिमों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गयी, जिसकी न तो उनके द्वारा कोई सूचना दी गई थी, और न सक्षम पदाधिकारी से इसके लिए अनुमति प्राप्त की गई थी।** उक्त रैली काफी उग्र थी, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा शामिल थे, जो आर०एस०एस० को प्रतिबंधित करने, भा०ज०पा० नेता हिसाबी राय को फाँसी देने की मांग आदि के साथ-साथ साम्प्रदायिक नारे भी लगा रहे थे, जिससे पाकुड़ शहर में आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। उक्त जुलूस द्वारा पाकुड़ नगर थाना के सामने अनाधिकृत रूप से सड़क जाम किया गया था, जिससे उक्त **जुलूस को दंडाधिकारी द्वारा नाजायज मजमा घोषित कर उन्हें गिरफ्तार किये जाने की चेतावनी दी गई,** तो उसमें शामिल लोग पुलिस बल से उलझ गये और पथराव भी किये, जिसमें **अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पाकुड़ सहित कुछ अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं मामले के कवरेज के लिए गये पत्रकारों को भी चोट आयी।** इस संबंध में **पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 86/17** दिनांक 05 जुलाई, 2017 धारा-147/148/149/323/332/333/308/353/384/120बी० भा०द०वि० अंकित कर **पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुलूस में शामिल 43 समर्थकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।**
- **साहेबगंज** जिला के बरहेट थानान्तर्गत भोगनाडीह गाँव में दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को शाम लगभग 18.00 बजे मो० महबूल अंसारी, पे० फूल मोहम्मद अंसारी द्वारा सिद्धो-कान्हू पार्क में पान खाकर शहीद सिद्धो-कान्हू की प्रतिमा के पैर पर पीक फेंक दिया गया एवं पार्क में बनी एक मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया था। इस घटना के पीछे पी०एफ०आई० का हाथ होने की आसूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में बरहेट थाना काण्ड

सं० 82/16 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 धारा- 147/148/149/341/323/354/504 भा०द०वि० 3 (ii) अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम दर्ज किया गया है।

- **साहेबगंज** जिला के रांगा थाना क्षेत्र के पतना चैक पर दिनांक 16 जुलाई, 2016 को करीब 10.00 बजे दिन में पी०एफ०आई० की ओर से इस्लामिक धर्म प्रचारक डा० जाकिर नाईक के समर्थन में करीब 150-160 की संख्या में पी०एफ०आई० समर्थकों द्वारा केन्दुवा से चल कर पतना चैक पर पहुँच कर नारेबाजी की गई, जिसमें **"पाकिस्तान जिन्दाबाद, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद"** के नारे लगाये गये। उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि 5-6 बार नारेबाजी करने के बाद इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं बजरंग दल के लोगों के द्वारा विरोध करने पर पी०एफ०आई० के लोग काफी उग्र हो गये, जिससे विधि-व्यवस्था की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी थी। मीडिया में इस संगठन के द्वारा **"पाकिस्तान जिन्दाबाद"** के नारे लगाये जाने की खबरें भी प्रकाशित हुई थी और वीडियो क्लिप्स भी जारी किये गये थे।
- वर्ष 2016 में ऐसी सूचना थी कि पी०एफ०आई० **जामताड़ा** के जिलाध्यक्ष जैनुल आबेदिन, कार्यकारी सदस्य गुलाम रसूल, आबेदुल्ला, फारूक अंसारी आदि के द्वारा मीटिंग कर *बकरीद के अवसर पर कुर्बानी के लिए गायों की खरीददारी* कर **जामताड़ा** जिला के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों नारायणपुर, मुरली पहाड़ी, चेंगाईडीह, सुभाष चौक आदि में अपने 7-8 पुराने सदस्यों के हरेक ग्रुप के लिए एक जानवर के हिसाब से वितरित किया गया था। अन्य नये सदस्यों के लिए ये जानवर न देकर 7-8 सदस्यों पर 7000-8000 रुपये की राशि गुप्त रुप से वितरित करने का निर्णय लिये थे।
- पश्चिम बंगाल के कालियाचक, फरक्का, मालदा आदि जिलों में बंगलादेशी आतंकवादी घुसपैठियों से सम्पर्क कर पी०एफ०आई० के सदस्य सरकार विरोधी कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में एस०टी०एफ० कोलकता काण्ड सं०-01/2018, दिनांक 02 फ़रवरी, 2018 धारा- 121/121(ए)/123/125/120(बी) में गिरफ्तार आतंकियों के संबंध पी०एफ०आई० के साथ पाया गया है ।
- पी०एफ०आई० सदस्यों के आई०एस०आई०एस० से जुड़ने एवं अनुयायी हाने की बात भी प्रकाश में आई है। इस संबंध में वालापतनम् कन्नुर थाना कांड सं०- 1010/2017, धारा- 38/39 UA (P) एक्ट के तहत चार एन०डी०एफ०/ पी०एफ०आई० सदस्यों के विरूद्ध दर्ज किया गया है।
- झारखण्ड राज्य के अलावे बिहार में दिनांक 15 जुलाई, 2016 को PFI/SDPI सदस्यों द्वारा जुलूस निकाला गया एवं **पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए गए तथा लोकशांति भंग की गयी।** इस संबंध में पिरबहोर थाना काण्ड सं०-190/16 अंकित किया गया है।
- पुनः दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया के द्वारा बाबरी मस्जिद नष्ट किये जाने के विरोध में निकाले गये जुलूस के अवसर पर भारत विरोधी नारे लगाये गये, इस संबंध में लहेरियासराय (दरभंगा) थाना कांड सं०- 584/18, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 धारा 143/153(बी०)/505 (बी०)/149 भा०द०वि० अंकित किया गया है।

- दिनांक 03 जनवरी, 2016 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिलान्तर्गत कालियाचक में पी०एफ०आई० के सदस्यों द्वारा थाना परिसर में प्रवेश कर तोड़फोड़, मारपीट एवं आगजनी कारित किया गया। इस संबंध में कलियाचक थाना काण्ड सं०- 05/16, दिनांक 03 जनवरी, 2016 धारा 147/148/149/323/325/326/332/333/353/186/379/427/435/436/506 भा०द०वि० दर्ज किया गया है। बाद में 3/4/डी०पी०पी० एक्ट एवं 411/307/120बी0 भा०द०वि० एवं 25/27/35 आर्म्स एक्ट अंकित कर जोड़ दिया गया।
- केरल राज्य के नार्थ में थानल नामक धार्मिक चैरिटी ट्रस्ट के ट्रेनिंग कैम्प से आपत्तिजनक हथियार, बम बनाने का समान, पम्पलेट एवं अन्य समान बरामद किया गया है, जिसमें पी०एफ०आई० सदस्यों की संलिप्तता पायी गयी है। इस संबंध में कन्नुर माईल पुलिस स्टेशन काण्ड सं०-276/13 अंकित किया गया है, **जिसमें अनुसंधान उपरांत 21 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गया।**
- पूर्व में केरल राज्य में पी०एफ०आई० सदस्यों द्वारा Prof. T.J. Joseph को तथाकथित प्रश्न पत्र में इस्लाम धर्म के Prophet Mohammed को अपमानित करने की बात को लेकर बदले की भावना से उनके उपर हमला कर उनका हांथ काट दिया गया। इस संबंध में मवातुकुज्जा थाना कांड सं०-714/2010 धारा 143/147/148/120(बी०)/341/427/323/324/326/506(ii)/153(ए०)/201/202/212/307/149 भा०द०वि० एवं 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 15/16/18/18(बी0)19/20 UA (P) Act के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें एन०आई०ए० न्यायालय के द्वारा इस काण्ड में संलिप्त अभियुक्तों को दोषी पाते हुये सजा सुनाया गया है।
- असम में भी पी०एफ०आई० के खिलाफ चार कांड प्रतिवेदित है, जिसमें से एक जाकिर हुसैन अध्यक्ष, बक्सा जिला के खिलाफ 10-12 बाईक में सवार होकर लोकमान अली पर घातक हथियारों से लैस होकर जानलेवा आक्रमण करने के संबंध में किया गया है। इस संबंध में गोर्बधन थाना कांड सं०-77/2018 धारा 120(बी)/143/341/325/326/307/427/342/379 भा०द०वि० के तहत जाकिर हुसैन एवं 20 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
- वर्तमान् में पी०एफ०आई० की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। पी०एफ०आई० द्वारा जगह-जगह गुप्त रूप से सभा किये जाने एवं सामाजिक विद्वेष फैलाने के संबंध में पाकुड़ (मु०) थाना में थाना दैनिकी प्रविष्ट कर जाँचोपरान्त पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है, जिसमें उक्त तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

5. इस तथ्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि झारखण्ड, राज्य की पी०एफ०आई० देश के अन्य राज्यों के पी०एफ०आई० के साथ गहरा संबंध रखती है और इसका दायरा खतरनाक तरिके से और विस्तृत होता जा रहा है।

- केरल राज्य के पी०एफ०आई० के सदस्यों एवं पदधारियों से झारखण्ड के पी०एफ०आई० सदस्यों एवं पदधारियों का सम्पर्क बराबर बना हुआ है। पी०एफ०आई० के जोनल पे्रसिडेंट मौलाना कलीमुल्ला से झारखण्ड पी०एफ०आई० के प्रदेश सचिव अब्दुल वदूद, सचिव शमीम अख्तर, प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल कबीर, उपाध्यक्ष हेंजला शेख, कोषाध्यक्ष-

अब्दुल सलाम, पाकुड़ एवं जामताड़ा के प्रभारी/सदस्य हबीबुर रहमान, गुलाम रसूल, जैनुल आबेदिन आदि सदस्य लगातार सम्पर्क में रहें है। झारखण्ड के पी०एफ०आई० सदस्य एवं पदाधिकारी पूर्व में केरल में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने एवं केरल के पी०एफ०आई० सदस्यों/पदाधिकारियों के सम्पर्क में होने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसका ब्यौरा अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के विस्तृत प्रतिवेदन में उपलब्ध कराया गया है।

- पी०एफ०आई० अपने संगठन का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर भारत के सभी राज्यों में करने हेतु प्रयासरत है। पी०एफ०आई० सदस्यों का राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर एक सांगठनिक ढांचा है। यह केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में सक्रिय है।
- पी०एफ०आई० झारखण्ड में भी अपने संगठन के विस्तार एवं विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गतिविधियों में निरंतर संलिप्त है। इनकी गतिविधि केरल राज्य के पी०एफ०आई० से पूर्णतः प्रभावित है। केरल में किये गए घटनाओं की पुनरावृत्ति झारखण्ड राज्य में होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह नितांत आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक शान्ति हेतु पी०एफ०आई० की बढ़ती गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने हेतु उसे विधिविरूद्ध संगठन घोषित करना अति आवश्यक है।

अतः अपराध विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (The Criminal Law Amendmet Act, (1908 का 14 वाँ अधिनियम) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को अधिसूचना की तिथि से अवैध घोषित करती है। इस संगठन के सदस्य बनने, इसे चंदा देने तथा इनकी उग्रवादी नीति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने या रखने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बाल किशुन मुण्डा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 124 -- 50